दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति
पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

DPCC

चौथा एवं पांचवा तल, आईएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006

हमसे संपर्क करें: http://dpcc.delhigovt.nic.in

सार्वजनिक सूचना

''मैसर्स तमिलनाडु वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा बवाना, दिल्ली में खतरनाक (परिसंकटमय) अपशिष्ट के लिए शोधन, भंडारण एवं निपटान के लिए सुविधा (TSDF)'' – सदस्यता/पंजीकरण के संबंध में।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC), भारत सरकार ने नियमो की अनुसूचियों में वर्णित खतरनाक एवं अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमा पार संचलन) नियम 2016 [HOWM&TBM नियम, 2016] को भारत के राजपत्र भाग–II, खण्ड–3 उपखंड (i) तिथि 04.04.2016 में प्रकाशित G.S.R. 395 (E) तिथिः 04.04.2016 के द्वारा अधिसूचित किया है।

- **निम्नलिखित को शामिल करके कथित HOWM&TBM नियम, 2016 के नियम 4 में वर्णित खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु अधिभोगी के दायित्वः**

  (i) अधिभोगी खतरनाक और अन्य अपशिष्टो के सुरक्षित और पर्यावरणीय अनुकूल प्रबंध के लिए उत्तरदायी होगा।

  (ii) किसी अधिभोगी के स्थापन में सृजित खतरनाक और अन्य अपशिष्ट को अधिकृत वास्तविक प्रयोगकर्ता को भेजा या बेचा जाएगा या किसी अधिकृत निपटान सुविधा में इसका निपटान किया जाएगा।

  (iii) किसी अधिभागी के स्थापन से खतरनाक और अन्य अपशिष्ट का इन नियमों के उपबंधो के अनुरूप प्राधिकृत वास्तविक प्रयोक्ता या प्राधिकृत वास्तविक प्रयोक्ता या प्राधिकृत निपटान सुविधा तक परिवहन किया जाएगा।

  (iv) ऐसा अधिभोगी जो अपने खतरनाक और अन्य अपशिष्टों का शोधन या निपटान, शोधन के प्रचालक द्वारा कराना चाहता है वहां भंडारण और निपटान सुविधा उस सुविधा के प्रचालक और ऐसी जानकारी जो सुरक्षित भंडारण और निपटान के लिए आवश्यक हो, दी जाएगी।

- उक्त HOWM&TBM नियम, 2016 के **नियम 6** के प्रावधानों के अनुसार खतरनाक और अन्य अपशिष्टों के हैंडलिंग उत्पादन संग्रहण, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन, प्रयोग, शोधन, प्रसंस्करण, पुनःचक्रीकरण, पुनः प्राप्ति, पूर्व–प्रसंस्करण, सह–प्रसंस्करण,उपयोग, बिक्री, अंतरण या निपटान में लगी सुविधा के प्रत्येक अधिभोगी द्वारा प्रारूप 1 (Form 1) में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को प्रधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन अपेक्षित है।

- उक्त HOWM&TBM नियम, 2016 के **नियम 16** के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार, अधिभोगी, किसी सुविधा का प्रचालन या अधिभोगियों का संगम व्यष्टिक रूप से या संयुक्त रूप से या पृथक रूप से राज्य में खतरनाक और अन्य अपशिष्टों के शोधन, भंडारण और निपटान की सुविधा स्थापित करने के लिए स्थलो की पहचान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

- उक्त HOWM&TBM नियम, 2016 के अनुपालन में, दिल्ली सरकार ने दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (DSIIDC) के माध्यम से बवाना, दिल्ली में खतरनाक अपशिष्ट के लिए शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा (TSDF) के विकास का काम मै. तमिलनाडु वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड (TNWML) को सौंपा है। इस संबंध में 18.12.2019 को DSIIDC और मैसर्स TNWML द्वारा रियायती समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

- बवाना, दिल्ली में खतरनाक अपशिष्ट के उक्त TSDF के लिए MoEF&CC ने 23.11.2020 को पर्यावरणीय मंजूरी दी है और DPCC ने 31.12.2020 को वायु और जल अधिनियमों के तहत स्थापित करने की सहमति दी है।

- **मै. TNWML बवाना, दिल्ली में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र (WTE Plant) और प्रगति पावर प्लांट से सटे प्लाट पर खतरनाक अपशिष्ट के लिए TSDF विकसित कर रहा है।** सुरक्षित लैंडफिल (एसएलएफ) [उद्योगों / इकाइयों, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (सीईटीपी) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अन्य स्रोतों से उत्पन्न लैंडफिल करने योग्य खतरनाक अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के लिए] और संबंधित इकाइयों का निर्माण किया गया है और जल्द ही प्रारंभ होने की उम्मीद है। भस्मक सहित खतरनाक अपशिष्ट के लिए संपूर्ण TSDF दिसंबर, 2021 तक प्रारंभ होने की उम्मीद है।

इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में खतरनाक अपशिष्ट पैदा करने वाले उद्योगों/इकाइयों, सीईटीपी सोसाइटियों/सीईटीपी संचालको और अन्य प्रतिष्ठानो/संगठनों आदि के संचालक और अधिभोगी जो कि खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं एवं उक्त HOWM&TBM नियम, 2016 के अंतर्गत आते है को बवाना, दिल्ली में खतरनाक अपशिष्ट के लिए उक्त TSDF का जल्द से जल्द 31.08.2021 तक सदस्यता लेने/पंजीकरण के लिए सलाह दी जाती है। खतरनाक अपशिष्ट के लिए TSDF की सदस्यता/पंजीकरण लेने के लिए संबंधित व्यक्ति का संपर्क विवरण निम्नलिखित हैं:

- **टीएसडीएफ के संचालक का नाम (खतरनाक अपशिष्ट के लिए)** : मैसर्स तमिलनाडु वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड, वेस्ट टू एनर्जी और प्रगति पावर प्लांट से सटा हुआ बवाना, दिल्ली –110039
- **संपर्क व्यक्ति का नाम** : श्री नितेश कुमार, पद : प्रबंधक
- **संपर्क फोन नंबर** : मोबाइल : 8005939581 ईमेल : **delhitnwml.tsdf@ramky.com**

सदस्य सचिव
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

Nav Bharat Times, Page 7, दिनांक 07.08.2021